

फर्द अहकाम  
( नियम 26)


अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर  
जिला हनुमानगढ

सुमन

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा , 88 ,188. आर.टी.एक्ट. नम्बर 264 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिधियल जज	नम्बर व तारीख
28.03.2022	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हो।	
04/22	<del>वकील वादी अधिवक्ता पेश किया गया ॥ की ओर से सुवादी शर्मा अधिवक्ता पेश किया गया ॥ वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हो।</del>	
18/6/22	<del>वकील वादी अधिवक्ता पेश किया गया ॥ की ओर से सुवादी शर्मा अधिवक्ता पेश किया गया ॥ वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हो।</del>	
10/5/22	<del>वकील वादी अधिवक्ता पेश किया गया ॥ की ओर से सुवादी शर्मा अधिवक्ता पेश किया गया ॥ वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हो।</del>	
10/6/22	पत्रावली पेश हुई निम्न की ओर, जज अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर पत्रावली दि. 1.5.22 को पेश हो।	
15/7/22	वकील वादी अधिवक्ता पेश किया गया ॥ की ओर से सुवादी शर्मा अधिवक्ता पेश किया गया ॥ वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हो।	
15/9/22	पत्रावली पेश हुई निम्न की ओर, जज अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर पत्रावली दि. 14.11.22 को पेश हो।	

10  
14/22

पत्रावली पेश हुई श्रीमातृपी.ओ. साहब  
रखालता है... को पेश हो।  
पत्रावली कि 03/11/22

03-11-22

पत्रावली पेश हुई श्री. जे. साहब  
रखालता है... को पेश हो।  
पत्रावली कि 01/12/22

1-12-22

पत्रावली पेश हुई। वकील काडिया अपरिपत्र गये।  
भावाज लागवात्रि गर्दि पासु ना तो काडिया किम  
अपसिगत कोर ना ही उमकी कोर के वकील उमर।  
अतः पाप अदम हजरी व अदम पेशनी में लादिज  
डिमा जाल है पत्रावली नकल के काग होकर  
दफतर वासिल हो।